

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर


क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-19/2019/

दिनांक:—

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 815 दिनांक 10.06.19 के द्वारा श्रीमती प्रीति रानी भारद्वाज, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर का उपनाम परिवर्तन किया गया था जिसमें सहवन से कार्मिका का पद नाम महिला स्वास्थ्य दर्शिका अंकित हो गया है के स्थान पर पद नाम नर्स-2 पढा जावे ।

शेष यथावत ।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी-19/2019/1022

दिनांक:— 30/7/19

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में यथास्थान उक्तानुसार उपनाम संशोधित का इन्द्राज कर पालना से अवगत करावे ।
2. सम्बन्धित द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- ✓ 3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें ।
4. आदेश/निजी पत्रावली ।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर